



कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

क्रमांक: लेखा/2022/15754-63/22

दिनांक:- 19-12-2022

आनलाईन निविदा सूचना संख्या 35 / 2022-23

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए नगर विकास न्यास, अलवर में उपयुक्त श्रेणी में एवं विभिन्न विभागों में ए एवं एए श्रेणी में (विद्युत कार्यों के लिये ई-डब्ल्यूएसडी प्रथम) पंजीबद्ध संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया से वेब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर ऑनलाईन निविदाएं पंजीकृत संवेदको से आमंत्रित की जाती है। समस्त कार्यों के लिए धरोहर राशि कार्य की अनुमानित लागत पर न्यास में पंजीबद्ध सक्षम संवेदक द्वारा 1/2 प्रतिशत राशि एवं अन्य विभागों में पंजीबद्ध सक्षम संवेदक द्वारा 2 प्रतिशत राशि पृथक पृथक रूप से ऑनलाईन निविदाएं पंजीकृत संवेदको से आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	निविदा की क्र.सं.	ऑनलाईन निविदा विषय/डाउनलोड/अपलोड करने का समय	प्रोसेसिंग शुल्क, निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि Urban Services Portal पर ऑनलाईन भुगतान/जमा करनी होगी।	ऑनलाईन निविदा/तकनीकी बिड खोलने की तिथि			
पार्ट-ए	1 से 2	23.12.22 प्रातः 9.30 से 03.01.23 दोपहर 2.00 बजे तक	23.12.22 प्रातः 9.30 से 02.01.2023 दोपहर 3.00 बजे तक	03.01.23 को सांय 4.00 बजे			
पार्ट-बी	3	23.12.22 प्रातः 9.30 से 11.01.23 दोपहर 2.00 बजे तक	23.12.22 प्रातः 9.30 से 10.01.2023 दोपहर 3.00 बजे तक	11.01.23 को सांय 4.00 बजे			
क्र.सं.	कार्य का नाम		अनु. लागत (लाख रु०)	अमानत राशि	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि	अधि० अभिय०
				0.50%	2.00%		

पार्ट-ए							
1	रामनगर कॉलोनी वार्ड नं० 57 में रामजीलाल प्रजापत के मकान से गुरुद्वारे तक सीसी रोड निर्माण कार्य	8.52	4260.00	17040.00	500.00	2 माह	द्वितीय
2	अधिशाषी अभियंता द्वितीय के कार्यक्षेत्र में पेच रिपेयर का कार्य।	25.00	12500.00	50000.00	500.00	वा.अनु.	द्वितीय
पार्ट-बी							
3	वर्तमान सी०एम०एच०ओ० परिसर अलवर में विभिन्न कार्यालय हेतु (जी+3) भवन निर्माण कार्य	302.58	151290.00	605160.00	1000.00	10 माह	द्वितीय

निविदा की सामान्य शर्तें :-	
1	निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
2	प्रोसेसिंग शुल्क रुपये 50.00 लाख से कम के कार्यों की निविदा के लिए रुपये 500/- व 50.00 लाख या उससे अधिक के कार्यों के लिए रुपये 1000/- देय होगा।
3	प्रत्येक कार्य के लिये पृथक पृथक रूप से अमानत राशि, निविदा एवं आरआईएसअल प्रोसेसिंग शुल्क का Urban Services Portal पर SSO Id के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान उपरान्त प्राप्त रसीद E.Proc.Rajasthan.gov.in पर निविदा के साथ अपलोड की जावे।
4	तकनीकी बिड हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आवश्यक दरतावेज ही संलग्न करें।
5	निविदा खोलने की तिथि के किसी कारणवश यदि सारी निविदाएं नहीं खोली जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस शेष निविदाएं खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्यालय दिवस में उसी समय पर निविदाएं खोली जायेगी।
6	मंडक कार्यों हेतु 300.00 लाख एवं भवन कार्यों हेतु 200.00 लाख से अधिक की निविदाओं के लिये तकनीकी आकलन में सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड को खोलने की सूचना निविदादाताओं को ई-मेल से दी जायेगी।
7	असफल संवेदको की धरोहर राशि कार्यदिश जारी होने के पश्चात लौटाई जायेगी।
8	राजस्थान भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम 2009 के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना दिनांक 30.04.09 के अनुसरण में न्यास द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के रनिग/अन्तिम बिलो के भुगतान पर 1 प्रतिशत श्रम उपकर (L.CESS) भी देय होगा।
9	संवेदक द्वारा दरे समस्त टैक्स/कर जैसे जीएसटी आदि शामिल करते हुये दी जावे। जीएसटी या अन्य टैक्स के लिये पृथक से न्यास द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
10	प्रत्येक निविदादाता द्वारा निविदा के साथ जीएसटी पंजीयन, पैन नम्बर प्रति, रजिस्ट्रेशन प्रति एवं पी.एफ.पंजीयन प्रति अपलोड करनी होगी तभी निविदा पर विचार किया जावेगा।
11	परफॉर्मंस सिक्युरिटी को आरटीपीपी नियम 75 तथा 75 ए के अनुसार गणना की जावेगी। निर्धारित समय अवधि में परफॉर्मंस सिक्युरिटी जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
12	उपरोक्त निविदाओं को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। उक्त कार्यों में निविदा की वैधता तिथि 90 दिन होगी।
13	उक्त निविदा में सम्मिलित कार्यों पर Price Escalation देय नहीं होगा।
14	उक्त निविदा में सम्मिलित 50.00 लाख राशि से अधिक के निर्माण कार्यों हेतु संवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर इंजीनियर इन्चार्ज के निर्देशानुसार तृतीय पक्ष का निरीक्षण (Third Party Inspection) कराना होगा जिसका अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
15	उक्त निविदा पर RTTP Rules, 2013 तथा PWF & AR, (UDH विभाग) के नियम लागू होंगे।
16	राजस्थान सरकार वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ1(8)वित्त/साविलेन/2011 दिनांक 04.02.2013 अनुसार प्रपत्र-ए, बी, सी एवं डी को हस्ताक्षर पश्चात निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है अन्यथा संवेदक की बिड पर विचार नहीं किया जावेगा।